न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी परसाराम (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ....222.... सन् 2021

अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

बनाम

....

—: आदेश :—

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट – "ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम **मुण्डोलाव** तहसील किशनगढ़ के **निजी खातेदारी भूमि** खसरा नम्बर 659 रकबा 2.3704 हैक्टेयर किस्म बंजर–। 0.2832 हैक्टेयर, बारानी–। 2.0872 हैक्टेयर में से रकबा 0.0688 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648 रकबा 2.1762 हैक्टेयर किस्म बंजर–। 0.5825 हैक्टेयर, बंजर–2 रकबा 1.5937 हैक्टेयर में से रकबा 0.0672 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 646 रकबा 1.9335 हैक्टेयर किस्म बंजर–। 0.8980 हैक्टेयर व बारानी–। 1.0355 हैक्टेयर में से रकबा 0.0528 हैक्टेयर भूमि में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें मे उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार तहसीलदार किशनगढ़ की अनुसंशा अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम **मुण्डोलाव** तहसील किशनगढ़ के **निजी खातेदारी भूमि** खसरा नम्बर 659 रकबा 2.3704 हैक्टेयर किस्म बंजर–। 0.2832 हैक्टेयर, बारानी–। 2.0872 हैक्टेयर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0688 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 648 रकबा 2.1762 हैक्टेयर किस्म बंजर–। 0.5825 हैक्टेयर, बंजर–2 रकबा 1.5937 हैक्टेयर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0672 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 646 रकबा 1.9335 हैक्टेयर किस्म बंजर–। 0.8980 हैक्टेयर व बारानी–। 1.0355 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में गै0मु0 रास्ता के नाम से करावे, किन्तु उक्त गै0मु0 रास्ता सम्बन्धित खसरा नम्बरान् के खातेदारान की खातेदारी भूमि में ही दर्ज रहते हुए खातेदारी भूमि का रकबा पूर्वानुसार यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक ....[illegible]... को मेरे [illegible] न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.14 15:01:02 IST
Reason: SelfAttested